

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.4(25)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: 25 MAY 2022

**आदेश**

नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अस्थाई (Provisional) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री लक्ष्मण पंवार	सामान्य	10.07.1965	2013-14	निलम्बित
2.	श्री संजय पूनियां	सामान्य	14.07.1967	2015-16	
3.	श्री महेश चन्द्र गोयल	सामान्य	05.07.1968	2016-17	
4.	श्री राकेश शरण गर्ग	सामान्य	17.07.1966	2016-17	
5.	श्री राकेश परिहार	सामान्य	25.06.1966	2016-17	
6.	श्री अरविन्द कुमार माथुर	सामान्य	11.08.1966	2016-17	
7.	श्री संजीव कुमार शर्मा	सामान्य	15.06.1971	2016-17	
8.	श्री रविन्द्र प्रकाश माथुर	सामान्य	01.08.1973	2018-19	
9.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास	सामान्य	26.06.1964	2018-19	
10.	श्री भवरू खां	सामान्य	26.10.1968	2018-19	
11.	श्री विनित कुमार सक्सेना	सामान्य	17.06.1965	2020-21	
12.	श्री अनित माथुर	सामान्य	07.12.1965	2020-21	
13.	श्री सुरेश कुमार बेनीवाल	सामान्य	05.01.1965	2021-22	
14.	श्री तैयब खान	सामान्य	01.07.1969	2021-22	
15.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	सामान्य	02.10.1962	2021-22	
16.	श्री दीपक माथुर	सामान्य	15.08.1964	2021-22	

जिन अभियन्ताओं को उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करते हुए 10 दिवस में अपनी आपत्ति इस विभाग में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त वरिष्ठता क्रम से किसी भी अभियन्ता को कोई आपत्ति नहीं है तथा यथासमय अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी। उक्त वरिष्ठता सूची नगरीय विकास विभाग की Website: [www.udh.rajasthan.gov.in](http://www.udh.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित अधिकारियों को वेबसाइट के माध्यम से।
5. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय